

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाका दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D" - 1)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अंता गुकाग अंता
न्यायालय ब इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी अंता जिला बारां (राज.)
प्रकरण संख्या :- 06/2014 /दावा/बउनवान/छीतरलाल बनाग राज0 सरकार
जीसीएमएस संख्या:- 2014/00365
निर्णय दिनांक :- 14.05.2025
बउनवान:-

1. छीतरलाल पुत्र गोपाल जाति नायक दनिवासी ग्राम मोलकी तहसील अन्ता

..... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अंता जिला बारां (राज0)
2. प्रेमलता पत्नी गजानन्द जाति मेघवाल निवासी अन्ता तहसील अन्ता
3. हेमराज पुत्र नेनूराम जाति खटीक निवासी अन्ता
4. ओमप्रकाश पुत्र नेनूराम जाति खटीक निवासी अन्ता
5. मनोज कुमार पुत्र नेनूराम जाति खटीक निवासी अन्ता
6. हनुमान सिंह पुत्र स्व. सूरजमल जाति नायक निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दाकलां जिला कोटा
7. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. सूरजमल जाति नायक निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दाकलां जिला कोटा
8. कैलाशी बाई बेवा स्व. सूरजमल जाति नायक निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दाकलां जिला कोटा

.....प्रतिवादीगण


वकील वादी : एम.के. सुमन / स्वयं वादी

वकील प्रतिवादी : एकपक्षीय

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी.एक्ट


कोर्ट कैम्प भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत ठीकरिया में वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.05.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्ली जारी की जाती है वादी को वादग्रस्त आराजी ग्राम मोलकी के खाता सं. नया 111 पुराना 109 खसरा नं 272 रकबा 0.97 है0, खाता सं. नया 35 पुराना 33 खसरा सं. 228/365 रकबा 0.06 एवं 308 रकबा 0.05 तथा खाता सं. नया 147 पुराना 136 खसरा नं. 333 रकबा 2.45 हे0 में रामनाथ पुत्र घांसीलाल के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार अंता को आदेश दिए जाते हैं कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मोलकी के खाता सं. नया 111 पुराना 109 खसरा नं. 272 रकबा 0.97 है0, खाता सं. नया 35 पुराना 33 खसरा सं. 228/365 रकबा 0.06 एवं 308 रकबा 0.05 तथा खाता सं. नया 147 पुराना 136 खसरा नं. 333 रकबा 2.45 हे0 में रामनाथ पुत्र घांसीलाल का नाम हटाकर छीतरलाल पुत्र गोपाल का नाम दर्ज करे। तहसीलदार अंता को आदेश दिये जाते हैं कि तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।


अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
अंता जिला बारां

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
मुतफरिंक			मुतफरिंक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


 अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
 उपखण्ड अधिकारी
 अंता जिला बारां